Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 26-07-2006

Participants : Rathod Shri Harisingh Nasaru

>

Title : Need to review the waiver of Creamy Layer from OBC category.

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं कि ओबीसी के रिजर्वेशन पर क्रिमीलेयर लगाया गया है। यह क्रिमीलेयर लगाते हुए बहुत ही धांधली हुई है। मैं एक ऐसा उपेक्षित मामला आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जब ये क्रिमीलेयर पर लगाया गया था तब इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो सिविल एप्लीकेशन थी, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस (रिट पेटीशन(सिविल) नम्बर 930 ऑफ 1990 में था। इस बारे में बहुत गंभीरता से एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी गयी। इस एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी, एक क्राइटीरिया बनाया था कि सोशली एडवांस्ड पर्सन्स ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसकी तैयारी करके आये हैं ?

...(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ राठौड़ : मैं इसकी पूरी तैयारी करके आया हूं लेकिन यह मामला बहुत कॉम्पलीकेटेड है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

...(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ राठौड़ : यह बहुत कॉम्पलीकेटेड मामला है इसलिए समझाने में मुझे जरूर थोड़ी तकलीफ होगी और आपको तथा देश को भी समझने में तकलीफ होगी। अब मैं इंगलिश में बात करूंगा। In the judgement of the Indira Sawhney and others *Versus* the Union of India and others case, the Supreme Court has appointed an Expert Committee… … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : जो क्राइटीरिया उन्होंने दिया था, उसमें सोशली एडवांस्ड पर्सन्स को एक्सक्लूड किया था। जैसा कि उनका बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन था, उनको नहीं मिलना था। इसके लिए उन्होंने कांस्टीट्यूशन पोस्ट्स और कुछ सर्विस केटेगिरी और अभी जो तय हुआ है कि जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख रुपये है, जिनको हम क्रिमीलेयर बोलते हैं, उनको एक्सक्लूड किया जायेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था। The directive of the Supreme Court is that the rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare . यह डायरेक्शन था। वर्ा 1993 का यह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। लेकिन ऐसा कोई एक्सक्लूजन सरकार ने अभी तक नहीं किया। इसके ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए मैंने बताया कि यह इश्यू कॉम्पलीकेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई है। अभी महाराट्र सरकार ने एक जी.ओ. निकाल दिया है जिसमें डीनोटीफाइड एंड नोमेडिक ट्राइब्स जो आज तक क्रिमीलेयर नहीं थे, वे भी लगा दिये। ये जो डबल लो क्लास हैं, वे बहुत नेगलेक्टिड हैं, वे हमेशा नेगलेक्टिड रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी किसी ने आज तक नहीं देखा है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि Immediately, the Government of India should issue a list of such communities as directed by the Supreme Court. महाराट्र सरकार ने अननेसेसरेली डीनोटीफाइड एंड नोमेडिक ट्राइब्स पर भी क्रिमीलेयर लगा दिया है। यह बहुत गलत हुआ है। मेरी आपसे मांग है कि आप सरकार को इस बारे मे डायरेक्टिव nÉÒÉÊVÉA[p59]। मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए डायरेक्टिव दीजिए और सरकार को बताइए कि यह मामला गंभीर है और इस पर ध्यान दिया जाए।